

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

214


क्र	फर्द अहकाम	
	<p>मुं.नं/101 तारीख 21-11-14</p> <p>उजवान - माफे मन्दिर बृसिंह जी शिव मं चर्च अरिये रमेश चन्द बनाम फाहू</p> <p>दावा व खोषणा खाते दारी व स्यायी निषेधाज्ञा</p> <p>गदी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल शिव ने दावा बाबत खोषणा खाते दारी व स्यायी निषेधाज्ञा पेश किया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दस्तावेज रजिस्टर कर प्रतिवादी को अरिये सम्मन सितलव कर पत्रावली दि 23-12-14 को पेश हो।</p> <p>उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करोली)</p>	<p>3132 21-11-14</p>
12/14	<p>गदी वकील उषा / प्रतिवादी की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा Adv ने क्वालतनामा पेश किया। अन्ति जवाब दि 13-15 को पेश हो।</p>	
15	<p>वकुलाय उपरियत/पीठासन अधिकारी अक्षय पट्टेकार हैं। गतानुसार दिनांक 3-3-15 को पेश हो।</p>	
	<p>वकुलाय उपरियत/पीठासन अधिकारी कर्णवी मीरवासे हैं। गतानुसार दिनांक 2-4-15 को पेश हो।</p>	
	<p>वकुलाय उपरियत/पीठासन अधिकारी श्री अशोक मै पट्टेकार हैं। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 12-5-15 को पेश हो।</p>	

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

3

फर्द अहकाम

21/11 पत्रावली पेश हुई। वाकी व वादी वकील
उपास्थित नहीं। कई बार आवाज दे लाई गयी
फिर भी कोई उपास्थित नहीं। इसलिये एवाका अदम
हाजरी अदम पैरवी में रखा रिज किया जात
है। फैसला शुभार होकर नम्बर से काम कर
दाखिल दफतर हो।


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)